



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 22 नवम्बर, 1976
अग्रहायण 1, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 4974/सत्रह-वि०-1-175-76
लखनऊ, 22 नवम्बर, 1976

अधिसूचना
विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 19 नवम्बर, 1976 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 44, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1976

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 44, 1976]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 का अपेक्षित संशोधन करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1976 संक्षिप्त नाम
कहा जायगा।

2—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 की धारा 7 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

“(1-क) इस अधिनियम द्वारा उपबन्धित किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि इस अधिनियम के अधीन देय कर दिये बिना इकाई चलाई जा रही है तो भी उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (3) द्वारा शब्दकर आयुक्त को प्रदत्त अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है।”

उ० प्र० अधि-
नियम संख्या 9,
1961 की धारा 7
का संशोधन

No. 4974/XVII-V-1-175-76

Dated Lucknow, November 22, 1976

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Gauna (Kraya Kar) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 44 of 1976) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 19, 1976:

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (PURCHASE TAX)
(AMENDMENT) ACT, 1976

[U. P. ACT NO. 44 OF 1976]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) (Amendment) Act, 1976.

Amendment of
section 7 of U. P.
Act no. 9 of 1961.

2. In section 7 of the U. P. Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(1-A) Without prejudice to any other remedy provided by this Act, the power conferred on the Sugar Commissioner by sub-clause (iii) of clause (b) of sub-section (1) may also be exercised in case the unit is being worked without the tax due under this Act being paid.”

ब्रह्मा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव।